



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN) -U-40109RJ20005GC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर, पॉवर हाउस, माकड़वाली रोड अजमेर 305004

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanajmeravvanl@gmail.com

क्र. अवि.वि.नि.लि./अधी.अभि.(यो.)/अधी.अभि (यो.) /सहा.अभि.(आर.ई.)/अज./फा.-कृ.प./2016-17 /प्रे. 8227 दि 03-02-17

आदेश

विषय :- वर्ष 2016 -17 में कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में ।

निगम से जारी आदेश आर.ई.अज. 237 दिनांक 4.4.2015 में 31 अक्टूबर 2009 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन आवेदनों के मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया था ।

निगम से जारी आदेश आर.ई.अज. 245 दिनांक 19.8.2016 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 20.9.2016 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति) के सामान्य श्रेणी के आवेदक जिन्होंने दिनांक 31.3.2013 तक आवेदन किया है, उनके मांग पत्र जारी कर नियमानुसार कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया था ।


अब यह निर्णय लिया गया है कि 28 फरवरी 2010 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी के आवेदनों के मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जावे ।

राज्य के समस्त अनुसूचित जाति के आवेदको तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता के आधार यथावत जारी करते रहे ।

सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयवधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा । जिसके लिए सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे ।

अन्य नियम व शर्तें पूर्व में जारी आदेश आर.ई.अज. 221 दिनांक 3.12.2012 के अनुरूप यथावत रहेगी । उपरोक्त आदेशों को सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे ।

आज्ञा से


(ई. एन.एल. साल्वी) 3/2/17
अति.मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अवि.वि.नि.लि. अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 2 सलाहकार (मानिट्रिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 अध्यक्ष डिस्कॉम्स जयपुर ।
- 4 प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
- 5 निदेशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 6 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /प्रशिक्षण सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुन्झुनू
- 7 मुख्य लेखाधिकारी (ईटीबी/ए. एण्ड आर./ आई.ए.-डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 8 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
- 9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डब्ल्यू/एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/रा.गा.ग्रा.वि.यो/सर्तकता), अवि.वि.नि.लि. अजमेर ।

- 11 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपार्टल पर अपलोड करने हेतु ।
- 12 अधीक्षण अभियन्ता (फवस) / ए.सी.सी. / ए.डी.सी. / भीलवाडा / नागौर / झुंझुनू / सीकर / बांसवाडा / झुंझुनूरपुर / चित्तौडगढ / प्रतापगढ / राजसमन्द / उदयपुर ।
- 13 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 14 प्रावैधिक सहायक--माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 15 निजी सचिव--माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के अवलोकनार्थ ।
- 16 प्रावैधिक-सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 17 अधिशाषी अभियन्ता (प्रिवेन्सेज/लीगल), अविविनिलि, अजमेर
- 18 अधिशाषी अभियन्ता (.....) अविविनिलि,.....
- 19 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
- 20 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

अति.मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि अजमेर

3/2/2012